आईएस 5982 : 2003

प्लांटेशन वाइट शुगर – विशिष्टि

विषय क्षेत्र

इस मानक में प्लांटेशन वाइट शुगर की अपेक्षाएँ तथा नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियॉ निर्दिष्ट की गई हैं । इस मानक में प्लांटेशन वाइट शुगर की ग्रेडिंग शामिल नहीं है, ग्रेडिंग को आईएस 498 में पहले ही शामिल किया जा चुका है ।

ग्रेड

प्लांटेशन वाइट शुगर के ग्रेडों की संख्या और ग्रेडिंग की पद्धति आईएस 498 के अनुसार होगी।

अपेक्षाएँ

विवरण : सामग्री क्रिस्टलयुक्त, सफेद, गंधरहित तथा धूल, आयरन फिलिंग तथा अन्य बाहरी पदार्थों से मुक्त होनी चाहिए । उत्पाद नीचे दी गई अपेक्षाओं का भी अनुपालन करे :

क) शुष्कन पर क्षति
ख) दानों का आपस में जुड़ जाना
ग) चीनी की मात्रा का कम होना
घ) रंग
ङ) चालकता राख
च) सल्फर डाइऑक्साइड
छ) सीसा

प्लांटेशन वाइट शुगर का निर्माण, पैकिंग, भण्डारण तथा वितरण स्वास्थ्यकर स्थितियों (देखें आईएस 14350) के अंतर्गत होना चाहिए ।

पैकिंग

प्लांटेशन वाइट शुगर की पैकिंग स्वच्छ अच्छी स्थिति वाले तथा पटसन के नए बोरों (देखें आईएस 1943) अथवा पॉलिप्रापिलीन (देखें आईएस 10910) अथवा उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन (देखें आईएस 10146) से बने बोरों में की जाए । पटसन के बोरों में पॉलीथीन का अस्तर लगाया जाए । प्रत्येक बोरे का

मुख तो मशीन से सिला जाए या बोरे को मोड़कर हाथ से सिलाई की जाए । यदि हाथ से सिलाई की जाए तो टॉके दोहरे होने चाहिए और एक पंक्ति में कम से कम 14 टॉके होने चाहिए । यदि इसकी पैकिंग उपभोक्ता के लिए छोटे पैक में की जा रही है, तो उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप खाद्य ग्रेड के प्लास्टिक अथवा किसी अन्य उपयुक्त विषाक्तता रहित सामग्री में पैक किया जाए ।

<u>मुहरांकन</u>

1. प्रत्येक बोरे/पैक पर स्पष्ट रूप से पठनीय तथा अमिट शब्दों में निम्नलिखित विवरण दिया जाए :
   क) उत्पाद का नाम;
   ख) निर्माता का नाम और पता;
   ग) बोरे में चीनी का निवल भार
   घ) निर्माण का मास और वर्ष;
   ङ) बैच अथवा कूट संख्या;
   च) शब्द 'बेस्ट बिफोर' (माह और वर्ष लिखा जाए) ; तथा
   छ) तोल और माप मानक (पैकेजबंद वस्तुएँ) नियम, 1977 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा इसके अंतर्गत यथानिर्दिष्ट कोई अन्य नियम ।
2. थोक के पैकेज के मामले में खंड 7.1 (घ) तथा (च) के अंतर्गत दिए गए के अनुसार विवरणों की घोषणा ऐच्छिक है ।